

प्रारूप

सभी आवेदक वक्फ़ को निर्देशित किया जाता है कि मुतवल्ली / प्रबन्ध समिति की स्वीकृत हेतु सभी प्रकरण में अपने आवेदन के साथ निम्न बिन्दुओं पर नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करें:-

1. आवेदक / आवेदन की प्रबन्ध समिति द्वारा ही वक्फ़ सम्पत्ति का प्रबन्ध किया जा रहा है और प्रबन्ध के सम्बन्ध में न तो कोई विवाद है और न ही किसी अन्य का वक्फ़ के प्रबन्ध से कोई सम्बन्ध है।
2. वक्फ़ के प्रबन्ध के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में किसी तरह का कोई वाद विचाराधीन नहीं है।
3. आवेदक / आवेदक की प्रबन्ध समिति का कोई पदाधिकारी / सदस्य प्रश्नगत वक्फ़ सम्पत्ति का किरायेदार या पट्टेदार नहीं है।
4. प्रश्नगत वक्फ़ के आवेदक / प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी / सदस्य का कोई करीबी रिश्तेदार माता-पिता, पति-पत्नी, लड़का-लड़की, बहन-भाई, भाई की पत्नी व बहन के पति, भतीजा-भतीजी वक्फ़ सम्पत्ति के किरायेदार / पट्टेदार नहीं है।
5. बयान हल्फी में अंकित कोई तथ्य गलत होने पर बोर्ड प्रबन्ध समिति / मुतवल्ली की स्वीकृत आदेश और तौलियत सर्टिफिकेट / कार्यालय ज्ञाप आवेदक को बगैर नोटिस दिये वापस लेने व निरस्त करने का अधिकारी होगा जो आवेदक पर बाध्यकारी होगा।